

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 337/2024

अनवान : -

1. गुडीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादीयागण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र चानणराम जाति मेघवंशी साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
3. स्टैट बैंक पटीयाला शाखा नोहर तहसील नोहर।
4. एसबीबीजे शाखा भूकरका तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा


53, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री हवासिंह पुनिया वादीगण  
श्री मांगेराम गोदारा प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 24/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 27.03.2023 को विरुद्ध गुडडी देवी अन्य के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 4 बीबीके तहसील नोहर के प०न० 297/428 के मु०न० 21 के किला न० 6/0.2280, 7/1 की 0.1260, 14/1 की 0.1270, 15/0.2280, 16/0.2280, 17/0.2530, 24/0.2530, 25/0.2270, प०न० 298/428 के मु०न० 22 के किला न० 10 ता 11 की 0.5060 प०न० 298/429(23) कि०न० 1/0.2020, प०न० 297/429(24) के किला न० 3/0.2280, 4/0.2280, 5/0.2020, 6/0.2270, 7 ता 8 की 0.5060, 13 ता 14 की 0.5060, 15/0.2280, प०न० 0 मु०न० 71/12 कि०न० 0 की 0.1520 गै०मु० खाला, प०न० 0 मु०न० 71/13 किला न० 0 की 0.0760 गै०मु०खाला, प०न० 0 मु०न० 71/17 कि०न० 0 की 0.0260 गै०मु० खाला कुल तादादी 4.7570 है। भूमि बाबत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया था। न्यायालय ने वाद वाद विधिवत सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 27.03.2023 द्वारा वाद वादी अंतिम डिक्री किया गया था जिसके विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ के यहां अपील स० 79/2023 गोपीराम बनाम गुडडी देवी आदि प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2023 को अपारस्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की उभयपक्षों को सुना जाकर राजीनामा की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाकर मुताबिक राजीनामा के निर्णय पारित करे। उभयपक्षों को साक्ष्य हेतु तलब किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के राजीनामा इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 4 बीकेके के प0न0 297/428 मु0न0 21 के किला न0 6/2, 15/2 व 16/2 प्रत्येक किला में 0.2280 हैक्ट भूमि व किला न0 25/2 में 0.2270 हैक्ट भूमि काबिज काशत है इन किला में स्थित खाले के पश्चिमी तरफ उक्त वर्णित प्रत्येक किला में से उत्तर-दक्षिण 0.012-0.012 हैक्ट रास्ता कायम कर अभिलेख में दर्ज करवाने में एव प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम रास्ते मे आयी भूमि के बदले अपनी प0न0 297/429 मु0न0 24 के किला न0 7 की 0.253 हैक्ट भूमि में से किला न0 8/2 कायम किया जाकर 0.074 हैक्ट भूमि वादीयान गुडडी देवी व कलावती के नाम अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु सहमत है। चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प0न0मु0न0 297/428(21) किला न0 6/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, किला न0 6/2 की 0.216है नहरी, किला न0 7/2 की 0.126है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.1270है0 नहरी, किला न0 15/1 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.216है0 नहरी, 16/1 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.216है0 नहरी, 17 की 0.253है0 नहरी, 24 की 0.253है0 नहरी, 25/1 की 0.0260है0 गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.2150है0 नहरी व इसी चक के प0न0 297/429(24) के किला न0 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 हैक्ट नहरी, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.2280 हैक्ट, 7/2 की 0.075 हैक्ट नहरी उत्तरी तरफ पूर्व पश्चिम इस प्रकार 1.1510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 0.048 हैक्ट भूमि रास्ता व 2.227 हैक्ट भूमि नहरी भूमि क़मश गुडडी देवी व कलावती के नाम बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में उभयपक्ष पूर्णत सहमत है एवं रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर प0न0मु0न0 297/429(24) के किला न0 5/1 की 0.0510है0 गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.2020है0 नहरी, 6/1 की 0.0260है0 गै0मु0 खाला, 6/2 की 0.227है0 नहरी, 7/1 की 0.178है0 नहरी, 8/1 की 0.179है0 नहरी, 13 की 0.253है0 नहरी, 14 की 0.253है0 नहरी, 15/1 की 0.026है0 गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2270 है0 नहरी, प0न0 298/429(22) के किला न0 किला न0 10, 11 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी, प0न0 298/429(23) कि किला न0 1/2 की 0.2020है0 इस प्रकार 2.227 हैक्ट नहरी व 0.1030 हैक्ट गै0मु0 खाला व प0न0 297/428 मु0न0 27 के किला न0 6/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 15/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 25/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के नाम दर्ज किया जाता है तो हम उभयपक्ष को कोई ऐतराज नहीं है।

उभयपक्ष ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिकी किया जाता है तो उभयपक्षों को कोई ऐतराज नहीं है।

राजीनामा का अवलोकन किया। वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं उभयपक्ष के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा वाद वादी अंतिम डिकी किया जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है-


चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प0न0मु0न0 297/428(21) किला न0 6/1 की 0.025 गै0मु0 खाला, किला न0 6/2 की 0.216है नहरी, किला न0 7/2 की 0.126है0 नहरी, किला न0 14/1 की 0.1270है0 नहरी, किला न0 15/1 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.216है0 नहरी, 16/1 की 0.025है0 गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.216है0 नहरी, 17 की 0.253है0 नहरी, 24 की 0.253है0 नहरी, 25/1 की 0.0260है0 गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.2150है0 नहरी व इसी चक

01  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

के प0न0 297/429(24) के किला न0 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 हैक्ट नहरी, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 4/1 की 0.2280 हैक्ट, 7/2 की 0.075 हैक्ट नहरी उत्तरी तरफ पूर्व पश्चिम इस प्रकार 1.1510 हैक्ट गै0मु0 खाला, 0.048 हैक्ट भूमि रास्ता व 2.227 हैक्ट भूमि नहरी भूमि वादीयान कमश गुडडी देवी व कलावती को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर प0न0मु0न0 297/429(24) के किला न0 5/1 की 0.0510 है0 गै0मु0 खाला, 5/2 की 0.2020 है0 नहरी, 6/1 की 0.0260 है0 गै0मु0 खाला, 6/2 की 0.227 है0 नहरी, 7/1 की 0.178 है0 नहरी, 8/1 की 0.179 है0 नहरी, 13 की 0.253 है0 नहरी, 14 की 0.253 है0 नहरी, 15/1 की 0.026 है0 गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2270 है0 नहरी, प0न0 298/429(22) के किला न0 किला न0 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0 नहरी, प0न0 298/429(23) के किला न0 1/2 की 0.2020 है0 इस प्रकार 2.227 हैक्ट नहरी व 0.1030 हैक्ट गै0मु0 खाला व प0न0 297/428 मु0न0 27 के किला न0 6/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 15/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, किला न0 25/3 की 0.012 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव राजीनामा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 337/2024

अनवान : -

1. गुडीदेवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

-वादीयागण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र चानणराम जाति मेघवंशी साकिन भूकरका तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
3. स्टैट बैंक पटीयाला शाखा नोहर तहसील नोहर।
4. एसबीबीजे शाखा भूकरका तहसील नोहर।


-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 337 सन 2024 निर्णय दिनांक -24/06/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं राजीनामा कके आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है-

चक 4 बीकेके तहसील नोहर के प०न०मु०न० 297/428(21) किला न० 6/1 की 0.025 गै०मु० खाला, किला न० 6/2 की 0.216 है नहरी, किला न० 7/2 की 0.126 है० नहरी, किला न० 14/1 की 0.1270 है० नहरी, किला न० 15/1 की 0.025 है० गै०मु० खाला, 15/2 की 0.216 है० नहरी, 16/1 की 0.025 है० गै०मु० खाला, 16/2 की 0.216 है० नहरी, 17 की 0.253 है० नहरी, 24 की 0.253 है० नहरी, 25/1 की 0.0260 है० गै०मु० खाला, 25/2 की 0.2150 है० नहरी व इसी चक के प०न० 297/429(24) के किला न० 3/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 3/2 की 0.2280 हैक्ट नहरी, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै०मु० खाला, 4/1 की 0.2280 हैक्ट, 7/2 की 0.075 हैक्ट नहरी उत्तरी तरफ पूर्व पश्चिम इस प्रकार 1.1510 हैक्ट गै०मु० खाला, 0.048 हैक्ट भूमि रास्ता व 2.227 हैक्ट भूमि नहरी भूमि वादीयान कमश गुडडी देवी व कलावती को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 4 बीकेके तहसील नोहर प०न०मु०न० 297/429(24) के किला न० 5/1 की 0.0510 है० गै०मु० खाला, 5/2 की 0.2020 है० नहरी, 6/1 की 0.0260 है० गै०मु० खाला, 6/2 की 0.227 है० नहरी, 7/1 की 0.178 है० नहरी, 8/1 की 0.179 है० नहरी, 13 की 0.253 है० नहरी, 14 की 0.253 है० नहरी, 15/1 की 0.026 है० गै०मु० खाला, 15/2 की 0.2270 है० नहरी, प०न० 298/429(22) के किला न० किला न० 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी, प०न० 298/429(23) कि किला न० 1/2 की 0.2020 है० इस प्रकार 2.227 हैक्ट नहरी व 0.1030 हैक्ट गै०मु० खाला व प०न० 297/428 मु०न० 27 के किला न० 6/3 की 0.012 हैक्ट गै०मु० रास्ता, 15/3 की 0.012 हैक्ट गै०मु० रास्ता, किला न० 25/3 की 0.012 हैक्ट गै०मु० रास्ता स्वीकृत कर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव राजीनामा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 24/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर  
नोहर